## निविदा की समय-सारणी

| क्र. सं. | मद | समय-सारणी |
|---|---|---|
| 1. | कार्य का नाम | कतरे गए पुराने /गंदे नोटों के बुरादो से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति |
| 2. | ई-निविदा संख्या | RBI/BHOPAL/ISSUE/1/18-19/ET/23 |
| 3. | निविदा का मोड | ई निविदा (खुली निविदा)<br>भाग-I : तकनीकि बोली<br>भाग- II : मूल्य बोली<br>(www.mstcecoomerce.com/eprochrome/rbi)) द्वारा |
| 4. | i) कार्य की अनुमानत लागत/<br>ii) अनुमानत उत्पादन (वार्षिक)<br>iii) बयाना राशि (ईएमडी)<br>iv) अंतरण फीस | **₹ 10.00 लाख (लगभग)**<br>**480 टन**<br>**₹ 20,000/- बीस हज़ार मात्र**)<br>जिसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल के पक्ष में एनईएफ़टी के माध्यम से किया जाना है ।<br>500/- जीएसटी अतिरिक्त (@18%)<br>अंतरण शुल्क का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा. |
| 5. | विज्ञापन की तारीख | **01.08.2018** |
| 6. | भारतीय रिज़र्व वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करने की तारीख | **02.08.2018** |
| 7. | एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तारीख | **02.08.2018** |
| 8. | बोली पूर्व बैठक का समय एवं स्थान (वैकिल्पक) | **13.08.2018** |
| 9. | ई-निविदा प्रारंभ करने की तारीख (तकनीकि बोली और मूल्य बोली की प्रस्तुति) | **02.08.2018** |
| 10. | बयाना राशि और अनुलग्नक-1 जमा करने की अंतिम तारीख | **21.08.2018** |
| 11. | एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे | **21.08.2018** |

| | | |
|---|---|---|
| | /एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से अंतरण फीस जमा करने की अंतिम तारीख | |
| 12. | ई-निविदा जमा करने की अंतिम तारीख | **21.08.2018 at 14:00 hrs** |
| 13. | भाग-I (तकनीकी बोली) एवं ईएमडी खोलने की तारीख एवं समय | **23.08.2018 at 10:30 hrs** |
| 14. | भाग-II (मूल्य बोली) को खोलने की तारीख एवं समय | **23.08.2018 at 15:30 hrs** |

## निविदाकताओं के लिए अनुदेश एवं विशेष शर्ते

एमएसटीसी से पंजीकृत निविदाकताओं द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल, कतरे हुए पुराने /गंदे नोटों के बुरादों से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति की निविदाओं को एमएसटीसी के वेब पोटर्ल पर पंजीयन के बाद दर्शाया जाएगा।

**क. सामान्य अनुदेश**

1) भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे बाद में बैंक कहा जायेगा) निविदाकर्ताओं द्वारा अन्य शर्ते तय करने को प्रोत्साहित नही करता है ।

2) निविदा फॉर्म **इलेक्ट्रोनिक रूप से** (अनुलग्नक-1 को छोड़कर) भरा जाएगा। किसी दस्तावेज़ के अभाव होने की स्थिति में, निविदा के निणर्य पर अमान्य मानी जाएगी। चूंकि अनुलग्नक-1 को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेजों को, उपयुक्र्त, निविदाकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है।

3) सभी निविदाएँ, निविदा खोलने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए बैंक की स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। इस अवधि को परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है । निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त या वापस नहीं करेगा ।

4) निविदा खोलने के बाद, निविदा की दर या शर्तो में परिवतर्न का कोई अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।

5) ब्रिकेट्स के निपटान के लिए संविदा, खरीद के लिए प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली अथार्त प्रति किलोग्राम कीमत तथा निविदाकर्ता(ओं) के पूवर्वृत्त के आधार पर दी जाएगी। तथापि बैंक स्वयं बाध्य नहीं है कि वह किसी निविदा की उच्चतम कीमत को स्वीकार करें तथा उसके पास यह अधिकार है कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को, बिना किसी कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या निरस्त करे।

6) यदि यह अवार्ड किया जाता है, तो संविदाकार इस क़रार को किसी अन्य फर्म को नहीं सोपेगा। वह संविदा के किसी भी भाग का उप-ठेका (sublet) नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए उसे बैंक से लिखित अनुमति लेनी होगी।

7) आवेदक के पास निविदा के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए तथा उसका किसी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक में खाता होना चाहिए। उसे बैंक का नाम तथा पता खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगीं।

**ख. बयाना राशि जमा (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा (सेक्युर्टी जमा)**

आवेदक को दिनांक **21.08.2018** को या पहले, बयाना राशि रु. 20,000 (रुपए बीस हज़ार मात्र) को अनुलग्नक 1 के अनुसार एनईएफ़टी के माध्यम से जमा करनी होगी।

1) सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन तथा विधिवत निर्वाह होने तक प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा।

2) सफल निविदाकर्ता के साथ क़रार का निष्पादन होने पर सभी निविदाकताओं को बयाना राशि जमा वापस कर दी जाएगी।

3) प्रतिभूति जमा किये जाने पर, सफल निविदाकर्ता को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ क़रार का निष्पादन करने में विफल रहता है तो, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

4) बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) की राशि बैंक में जमा करनी होगी जिसे बैंक द्वारा इस संविदा की मान्यता रहने तथा /या उसकी बढ़ी हुई अवधि तक रखा जाएगा ।

5) बयाना राशि या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।

**ग. भाग - I (तकनीकी बोली)**

1) निविदा का भाग -I "तकनीकी बोली" होगा जिसमे निविदा फॉर्म रहेगा ।

2) निविदाकर्ता को उन सभी अनुबंधो का विवरण देना होगा जिनके अंतगर्त उसने इससे पूर्व में ऐसी सेवाएँ प्रदान की है ।

3) तकनीकी बोलियों को दिनांक **23.08.2018 को 10:30 बजे** खोला जाएगा ।

**घ. भाग - II (मूल्य बोली)**

1) निविदा के भाग II में केवल "मूल्य बोली" होगी ।

2) मूल्य केवल "**भारतीय रुपए**" में, संख्या तथा शब्दो दोनों रुप में उधृत करना होगा। संख्या तथा शब्दो में अंतर होने की स्थिति में, शब्दो में उधृत मूल्य को मान्य माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को ब्रिकेट्स की कीमत प्रति किलोग्राम उधृत करनी होगी।

3) उधृत दरों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर, शुल्क, लेवी शामिल नहीं होंगे। तथापि सभी कर/ड्यूटी/लेवी इत्यादि, जैसे भी लागू हो संविदाकार द्वारा वहन किए जाएगे।

4) उधृत दरें संविदा की पूरी अवधि (अथार्त 01.09.2018 से 31.03.2019 तक) के लिए तथा/या बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य रहेगी और एक्स्चेंज बद्लाव, श्रमिक या रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुए बदलाव के अधीन नहीं होगी।

5) मूल्य बोली को दिनांक **23.08.2018 को 15:30 बजे** खोला जाएगा।

**ङ) बैंक तथा संविदाकार के बीच क़रारनामा**

सफल निविदाकर्ता को, दिये गए प्रारूप के अनुसार, बैंक द्वारा सूचित की गई दिनांक से **सात दिनो** के भीतर एक क़रारनामा निष्पादित करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति,बैंक तथा निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा, चाहे ऐसा क़रारनामा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

1) क़रारनामा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, मूल प्रति बैंक के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति संविदाकार के पास रहेगी। मूल प्रति पर स्टांप ड्यूटि संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी ।

2) यह करार 07 माह की शुरुआती अवधि अथार्त 01.09.2018 से 31.03.2019 के लिए मान्य होगा । तथापि बैंक के विकल्प पर, संविदाकार के संतोषजनक कार्य और उसकी सहमति के आधार पर, इस अवधि को दो और वर्षो के लिए, किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, वर्तमान नियमों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3) यदि 01 अप्रैल 2019 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नया करार किसी भी कारण से क्रियान्वित नही हो पाता है तो, संविदाकार को, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के आदेश से, वतर्मान करारनामे की समाप्ति की दिनांक से तीन महीने की आगे की अवधि तक के लिए उन्ही नियम व शर्तो पर कार्य करना होगा ।

4) इस करार को दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

5) यदि संविदाकार इस करार के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है या किसी सांविधिक प्रावधान का पालन नही कर पाता है तो, बैंक द्वारा संविदाकार को 30 दिनो का लिखित नोटिस देकर देकर यह करार समाप्त किया जा सकता है तथा इस संबंध में बैंक निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

**च. कायर्स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

1. कायर्स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) ("अधिनियम") के प्रावधानो के अनुरुप, संविदाकर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक नीति निरूपित करेगा तथा तदानुसार इस अधिनियम के तहत "कर्मचारी" की परिधि में आने वाले किसी भी कार्मिक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संबंध में, निपटान करने, सुनवाई करने, आवश्यक कारर्वाई करने इत्यादि के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करेगा।

2. इसके कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के परिसरों में यदि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत मिलती है तो उक्त शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समीट के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा संविदाकार शिकायत के संबंध में कथित अधीयम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।

3. यदि इसमें संविदाकार के कमर्चारी शामिल हो तो किसी भी मोद्रिक हजार्ने के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा ।

4. संविदाकार कायर्स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबिन्धत मुद्दो के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक/शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेवार होगा।

**छ. संविदाकार के सांविधिक तथा संविदा संबंधी दायित्व**

1. संविदाकार को विभिन्न कानूनों के अंतगर्त, जैसा भी लागू हो, आवश्यक सांविधिक अनुमतियाँ/लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

2. संविदाकार को यह सीनिश्चित करना होगा कि इस करार के अंतगर्त कार्यों को पूरा करने के लिए वह केवल वयस्क, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा सक्षम व्यकित्यों को ही तैनात करे, जो कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा किसी जीर्ण या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो ।

3 संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यकक्ष रूप से बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबिन्धत कोई सूचना, सामग्री या अन्य विवरण, जो इस करारनामे के संबंध में अपने संविदागत दायित्वों का वहन करते समय संविदाकार के संज्ञान में आती है, को तृतीय पक्षकार को प्रकट नही करेगा तथा हर समय सख्त गोपनीयता का पालन करेगा।

4. इस संविदा के तहत दायित्वों का पालन करने में आवश्यक या लागू क़ानूनों के अनुपालन को छोड़कर संविदाकार द्वारा संविदा के बाकी विवरण को असावर्जनिक तथा गोपनीय माना जाएगा ।

5. संविदाकार को, इस करारनामे के तहत गोपनीय सूचना को प्रकट न करने के अपने दायित्वों को प्रतिपूर्ति सूनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में समूचीत कार्रवाई करनी होगी ।

6. संविदाकार किसी गोपनीय सूचना के प्रकट करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपयुक्र्त का पालन न करने पर इसे संविदाकार की ओर से इस संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा नुकसानों का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का बैंक हकदार होगा।

7. अप्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व, किसी भी परिस्थिति में, इस करारनामे की समाप्ति के बाद भी लागू रहोगे ।

8. इस करार से या इसके संबंध में होने वाले सभी विवाद भोपाल में हुए माने जाएँगे तथा उन पर निर्णय देने का अधिकार केवल भोपाल में स्थित अदालतों को ही निहित रहेगा ।

मैं /हम एतदद्वारा यह घोषित करते है कि मैंने/हमने निविदाकताओं के मागर्दशर्न के लिए उपयुक्त अनुदेश पढ़ लिए तथा समझ लिए है।

साक्ष्य के हस्ताक्षर
साक्ष्य के नाम
साक्ष्य का पता
दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

**अनुलग्नक – I**

## ई-पेमेंट के लिए एनईएफ़टी संबन्धित जानकारी

संस्था का नाम: **भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल**

पूर्ण पता :होशंगाबाद रोड, मेदा मिल के सामने,आरबीआई भोपाल

| | | |
|---|---|---|
| 1 | खाता धारक का नाम (बैंक खाते के अनुसार) | रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया , भोपाल |
| 2 | खाता नंबर | **186003001** |
| 3 | खाते का प्रकार (बचत , चालू खाता) | **चालू खाता** |
| 4 | पैन नंबर | **AAIFR 5286M** |
| 5 | बैंक का नाम | आरबीआई भोपाल |
| 6 | बैंक शाखा | आरबीआई भोपाल |
| 7 | बैंक का पता | आरबीआई भोपाल |
| 8 | एनईएफ़टी/आरटीजीएस कोड | RBIS0BLPA01<br>(उक्त कोड मे 0 का अर्थ शून्य है) |
| 9 | खाते का नाम | **RBI, NEFT, Inward Received** |
| 10 | जीएसटीआईएन | **23AAIFR5286M120** |

**अनुलग्नक - II**

**कतरे गए पुराने /गंदे नोटों के बुरादो से बनी छोटी ईटों की बिक्री के साथ ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु श्रमिकों की आपूर्ति के करार के लिए नियम व शर्ते**

1. संविदाकार को "जैसा है जहां है" के आधार पर एकत्रित हुई ब्रिकेट्स के बैगो को सप्ताह में कम से कम एक बार/दो बार तथा /या बैंक के आदेशानुसार उठाना होगा।
2. संविदाकार को ब्रिकेट्स (45 किलोग्राम तक) को भरने के लिए पयार्प्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता के खाली बैग, मांग अनुसार, अपनी लागत पर प्रदान करने होगे।
3. बैंक अपने निर्णयानुसार, संविदाकार द्वारा उठाये जाने के लिए, ब्रिकेट्स के बैगो के क्रमबद्ध ढेर लगाने की व्यवस्था करेगा।
4. संविदाकार सभी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) या बैंक के आदेशानुसार, केवल 9:30 प्रात: से 5:30 साँय की समयवधि मे, केवल बैंक स्टाफ की उपस्थिती में ब्रिकेट्स के बैगो को उठाने के लिए श्रम तथा ढुलाई की व्यवस्था करेगा ।

5. ठेकेदार द्वारा, करार की अवधि के दौरान, ब्रिकेट्स को बैगों में भरने एवं ब्रिकेटिंग रुम की साफ-सफाई हेतु **स्वयं के व्यय** पर **तीन मज़दूर (दो सुबह की शिफ्ट के लिए एवं एक शाम की शिफ्ट के लिए)** उपलब्ध कराने होंगे। ठेकेदार द्वारा उनके मजदूरों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना आवश्यक है।

6. ठेकेदार ब्रिकेट्स के बैगों को बैंक में अस्थायी भंडार स्थल पर इस तरह रखेगा कि ब्रिकेट्स भंडार स्थल में काम में किसी प्रकार की बाधा न आये। ब्रिकेटिंग रुम के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

7. संविदाकार इलेक्ट्रोनिक मोड/एनईएफ़टी के माध्यम से बैंक को अनुमोदित दरों पर भुगतान करने के बाद, बैंक परिसर से ब्रिकेट्स बैग को उठाएगा तथा ले जाएगा।

8. संविदाकार सभी लागू करों (जीएसटी,टीसीएस इत्यादि) को वहन करेगा और तदानुसार बैंक को भुगतान करेगा।

9. ठेकेदार ब्रिकेट्स के अंतिम उपयोग के बारे में बैंक को सूचित करेगा तथा वह यह वचन भी देगा की इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा।

10. संविदाकार यह हलफनामा प्रस्तुत करेगा कि ब्रिकेट्स का निपटान केंद्रीय सरकार तथा/या किसी राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अधिनियम/नियम/ विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके निपटान से वातावरण प्रदूषण नही होगा।

11. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिकेट्स ले जाते समय सावधानी / सतर्कता बरती जाये ताकि ब्रिकेट्स रास्ते में न गिरने पाये तथा किसी गलत / अज्ञात व्यक्ति के हाथ न लगें।

12. संविदाकार बैंक परिसर में प्रवेश करते/बाहर जाते समय, स्वयं/श्रमिक/वाहनो के लिए उचित सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेवार होगा। यह उसकी जिम्मेवारी होगी कि सभी लिखित सत्यापन/प्रमाणन वतर्मान समय के तथा मान्य हो।

13. यदि संविदाकार दर्शाई गयी अवधि के अनुसार यदि ठेकेदार समय से ब्रिकेट्स के बैग भंडार स्थल से नहीं उठाता तो बैंक अपने विवेकानुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है तथा बैगों को हटाने की पूरी लागत संविदाकार की प्रतिभूति जमा से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक के आदेशों के अनुसार कार्य पूरा न करने के ऐसे प्रत्येक अवसर पर, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा संविदाकार पर रु.1,000/- का दंड लगाया जा सकता है तथा इसकी वसूली भी प्रतिभूति जमा से की जाएगी ।

14. किसी भी दंडात्मक कारर्वाई करने से पूर्व क्षेत्रीय निदेशक द्वारा विधिवत सुनवाई का मौका संविदाकार को दिया जाएगा । तथापि क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा ।

15. संविदा के अंतगर्त सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन होने पर, यदि कोई है, द्वारा संविदा अमान्य हो जाएगी ।

मैं /हम एतदद्वारा यह घोषित करते है कि मैंने/हमने निविदाकताओं के मागर्दशर्न के लिए उपयुक्र्त अनुदेश पढ़ लिए तथा समझ लिए है।

साक्ष्य के हस्ताक्षर
साक्ष्य के नाम
साक्ष्य का पता
दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

**निविदा फॉर्म**

**भाग- I: तकनीकी बोली**

**1. निविदाकार का विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/स्वत्वधारी का नाम | |
| 2. | पता | |
| 3. | टेलीफोन/मोबाइल नंबर | |
| 4. | ई-मेल | |
| 5. | पैन नंबर | |
| 6. | दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन | |
| 7. | व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण | |

**2. बैंक खाता विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बैंक का नाम | |
| 2. | बैंक शाखा का पता, आईएफ़एससी संख्या | |
| 3. | बैंक खाते का प्रकार एवं खाता संख्या | |
| 4. | चूक का विवरण, यदि को हो | |

**3. क्या निविदाकार के पास ब्रिकेट्स ढुलाई के लिए अपनी परिवहन व्यवस्था है:**

हाँ/नहीं

**(i) यदि हाँ तो, संक्षिप्त विवरण के साथ स्वयं के वाहनों की संख्या:**

**4. समान प्रकार की सेवाए प्रदान करने में अनुभव:**

| कार्यालय/कंपनी का नाम | पता व टेलीफ़ोन न. | संविदा की अवधि |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**5. बयाना राशि जमा (ईएमडी) का विवरण**

राशि_____रूपये

दिनांक _____

जारी करने वाले बैंक शाखा का नाम/पता _____

मै भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम और शर्तो से सहमत हूँ।

दिनांक:_____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

(_____)

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प।सील सहित)

**भाग II - मूल्य बोली**

| मद | इकाई | प्रति किलो दर (रु.) (कर, अतिरिक्त) | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या में | शब्दो में |
| नोटों के चूरे से बनी ईंटे (ब्रिकेट्स) | किलोग्राम | | |

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम व शर्तो से सहमत हूँ।

दिनांक:_____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-

(_____)

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टम्प।सील सहित)